आदेश की संo और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

04.02.2020

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-01/2019

1. रूकसाना खातून, पति परवेज अंसारी, सा0-रजीलाल मेहता टोला, पंचायत-ठाढ़ी राजो, वार्ड सं0-15, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।
2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा।
3. महिला पर्यवेक्षिका -सह-चयन समिति सचिव।
4. वार्ड सदस्य-सह-चयन समिति अध्यक्ष, वार्ड सं0-15, सा0-रजीलाल मेहता टोला, पंचायत-ठाढ़ी राजो, अंचल-धमदाहा, जिला-पूर्णिया।
5. वार्ड पंच-सह-चयन समिति उपाध्यक्ष, वार्ड सं0-15, सा0-रजीलाल मेहता टोला, पंचायत-ठाढ़ी राजो, अंचल-धमदाहा, जिला-पूर्णिया।
6. नुजहत परवीण, पति शमशेर अंसारी, सा0-रजीलाल मेहता टोला, पंचायत-ठाढ़ी राजो, वार्ड सं0-15 अंचल-धमदाहा, जिला-पूर्णिया।

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक 13/जि0प्रो0 दिनांक 03.01.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है**। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र, वार्ड नं0-15, पंचायत-ठाढ़ी राजो, परियोजना-धमदाहा** के **सेविका** पद से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद हेतु अपीलार्थी एवं अन्य के द्वारा आवेदन दिया गया था। दिनांक 16.10.17 को चयन संबंधी आयोजित आम सभा में कुल 09 आवेदन पत्र रखा गया, जिसमें विपक्षी सं0-06 का चयन सेविका पद पर किया गया। उसी समय अपीलार्थी द्वारा उनके चयन पर आपत्ति व्यक्त की गई कि विपक्षी सं0-06 वार्ड सं0-15 की निवासी नहीं हैं। आपत्ति पत्र के आलोक में आम सभा स्थगित कर दी गई एवं पुनः दिनांक 30.12.17 को दूसरी आम सभा आयोजित कर पुनः विपक्षी सं0-06 का चयन कर लिया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई गई कि उनका नाम वार्ड

सं0-14 के मैपिंग पंजी में भी है तथा वार्ड सं0-15 के निवासी नहीं हैं। साथ ही उनके पति की मासिक आय 40000.00 रूपये है। परन्तु इसके बाद भी विपक्षी सं0-06 का चयन कर लिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्रम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया। जिसमें उनके द्वारा सभी पक्षों को सुनकर विपक्षी सं0-06 के पक्ष में आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि विपक्षी सं0-06 अपने आवेदन में पिछड़ी जाति दर्ज किया गया है तथा अत्यन्त पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा ने अपने पत्रांक 241 दिनांक 27.06.18 द्वारा प्रेषित स्थल जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विपक्षी सं0-06 के ससुर का घर वार्ड सं0-14 में मस्जिद के पास स्थित है। उनका नाम सिर्फ वार्ड सं0-15 के मतदाता सूची में दर्ज है। विपक्षी सं0-06 एवं ससुर का नाम भी मतदाता सूची में गलत अंकित है। विपक्षी सं0-06 के द्वारा दिनांक 20.12.17 को वार्ड सं0-15 में एक झोपड़ी बना लिया गया है। वार्ड सं0-15 में जमीन की पुष्टि महिला पर्यवेक्षिका भी आम सभा पंजी में अंकित किया गया है। भौतिक सत्यापन के दौरान मतदाता सूची में विपक्षी सं0-06 का गृह सं0-12 दर्शाया गया है। जबकि खाली जमीन में घर बनाया गया है। झोपड़ी के आस-पास कोई घर नहीं है। जिससे गृह संख्या की पुष्टि गलत है। विपक्षी सं0-06 के द्वारा अपने आवेदन पत्र में वार्षिक आय 60000.00 रूपये दर्शाया गया है जबकि आम सभा में मासिक आय 10500. 00 रूपये प्रति माह का शपथ पत्र दिया गया है। इसके अतिरिक्त चयनित सेविका के मूल अंक में अतिरिक्त विषय का अंक घटाने पर 64.36 प्रतिशत होता है। परन्तु इनके द्वारा आवेदन में 64.41 प्रतिशत दिखाया गया है। साथ ही उम्र के कॉलम को भी खाली छोड़ दिया गया है। दिनांक 30.12.17 को आयोजित आम सभा की कार्यवाही किसी भी ग्रामी सदस्यों की उपस्थिति में नहीं की गई है। इसे प्रमाणित होता है कि चयन समिति के सदस्यों द्वारा विपक्षी सं0-06 के मेल में आकर यह चयन किया गया है। अतएव विपक्षी सं0-06 का चयन रद्द करते हुए अपीलार्थी के चयन का आदेश दिया जाए।

विपक्षी सं0-06 का कथन है कि यह वाद कानून एवं तथ्यों के आधार पर निर्वहन योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में विपक्षी सं0-06 का घर संबंधित पंचायत में नहीं रहने के बिन्दु पर परिवाद दायर किया गया है। विपक्षी सं0-06 के द्वारा निम्न न्यायालय में वार्ड सं0-15 का स्थाई निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था

जिसमें अंचल अधिकारी, धमदाहा द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, वार्ड सं0-15 का मतदाता सूची, मैंपिग पंजी की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, ससुर के नाम निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मुखिया एवं वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं महिला पर्यवेक्षिका के भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन दिया गया है। उपरोक्त सभी दस्तावेज इस न्यायालय में भी समर्पित किया गया है। इस प्रकार अपील आवेदन निस्तर करने योग्य है जिसे निरस्त करने की कृपा की जाए।

इस वाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 188/जि0प्रो0 दिनांक 06.02.19 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी सं0-06 मेधा सूची में प्रथम स्थान पर है तथा वार्ड सं0-15 की निवासी हैं। अपीलार्थी द्वारा लगाया गया आरोप कि उनके पति मासि0क आय 40000.00 रूपये है जाँचोपरांत निराधार पाया गया।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात्, उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा उपलब्ध प्रतिवेदन के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विपक्षी सं0-06 का चयन विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि-सम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया एवं **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा** को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।